सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990

(1990 का अधिनियम संख्या 21)

जम्मू-कश्मीर राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के
सदस्यों के कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्षसीमा संसद के निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हस्ताक्षर किया गया है:—

1. संक्षेप नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षेप नाम सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण जम्मू-कश्मीर प्रदेश पर है।
(3) यह 5 जुलाई, 1990 को प्रस्तुत हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक न कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "सशस्त्र बल" से भूमिका में सचिवालय सैनिक बल और वायु बल के समावेश में सम्बन्धित सैनिक बल और वायु बल को लागू करने के अधीन अधिनियम का अन्वेषण किया गया है;
(ख) "विदेश क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिव्यक्त है जिसे धारा 2 के अधिन अधिनियम द्वारा तत्समय विदेश क्षेत्र पूर्वतनिकित किया गया है;
(ग) उन अन्य सभी शब्दों और पदों को, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 46) में परिभाषित नहीं हैं जो उन अधिनियमों में हैं।

3. क्षेत्रों को विदेश क्षेत्र पूर्वतनिकित करने की शक्ति—यदि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, उस राज्य के राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार की राय है कि संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग ऐसी विदेशी और खतरनाक स्थिति में है कि —

(क) ऐसे क्रियानिष्ठाने को रोकने के लिए जिसमें बिजली द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी वर्ग को अग्रसर करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के सीधे सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने के लिए उद्देश्यात्मक आतंकी कार्य अन्तर्गत है;
(ख) ऐसे क्रियानिष्ठाने को रोकने के लिए, जो भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता का प्रतिवेदन करने, अपने मार्गदर्शन अथवा अन्य तरीके पर्याप्त करने या संघ के राज्य क्षेत्र के किसी नाम को जितना करने या भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति और भारत के संविधान का अपसरो वर्णन करने के लिए उद्देश्य है,
(ग) यदि उसकी राय है कि सम्मिलित शक्ति के साधन के लिए समस्त बलों का प्रयोग आवश्यक है तो राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल और अस्थायी संयुक्त द्वारा संबंधित राज्य के संविधान के अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।

3. केन्द्रीय सरकार—इस धारा में, “आतंकवादी कार्य” का वही अर्थ है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।

4. सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां—सशस्त्र बलों को फोल्ड आफ्सर, वारंट आफ्सर, अनायुक्त आफ्सर या तत्समान रैंक का कोई अन्य अवधि, किसी विदेश क्षेत्र के, —

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना लोक रक्षा के लिए आवश्यक है तो ऐसे अन्य सैनिक ने देने के लिए प्रारंभ किती तैयार या अन्याय अभिव्यक्ति के समेत, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो विदेश क्षेत्र में पांच या उससे अधिक आतंकित के जमाव को अथवा हिथयारों या ऐसी वस्तुओं को, जिनमें यह अवधि या अवधि या हिथयारों का संबंध है किसी फौज को, गोलाबारूद या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलने के लिए प्रतिबिंदु बनाने या अध्ययन करने या अपोस्ट्री राजनीति, भारतीय राजनीति और भारत के संविधान का अपसरो करने के लिए उद्देश्य है,
(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करने आवश्यक है तो आतंकित के किसी अन्यथा में गोलाबारूद को, ऐसे लोगों के किसी वायु अस्थायी गोलाबारूद को, अवश्य आवश्यक या तत्समान रैंक का कोई अन्य अवधि, किसी विदेश क्षेत्र के, —
(ग) ऐसे व्यक्ति को बांटने के विना गिरफ्तार कर सकेगा जिसमें कोई संयोग अपराध कर रहा है, या किसी अपराध के बारे में यह चिंता है कि उसने कोई संयोग अपराध किया है या करने वाला है और ऐसे बल का प्रयोग कर संकेतों जो गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है।

(घ) ऐसे व्यक्ति को बांटने के लिए या किसी ऐसे संयोग लेने के लिए, जिसकी बात यह नियम है कि उसने तब जब्राह्म अथवा रतिश्व प्रक्रिया की है या जिसकी बात यह नियम है कि उसने चोरी की संपत्ति है या किसी अपराधी का तलाश चाहिए के लिए, जिसकी बात यह नियम है कि वे किसी विविध संदर्भ में विविध करण कर रहे हैं, ऐसे रोजगारों में बांटने के विना प्रयोग कर सकेंगा और उसकी तलाशी लेंगे तथा उन प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेंगा जो आवश्यक हो और ऐसी किसी संपत्ति, आयुक्त, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थों को अभिगृहीत कर सकेंगा।

(ङ) ऐसे कार्य को करने के लिए, जिसकी बात यह नियम है कि वह जिस व्यक्ति को, जिसके बारे में यह चिंता है कि वह उसने कोई अपराध किया है या अथवा जिसने कोई अपराध किया है या किसी ऐसे कार्य को करने वाला है अथवा जिसकी बात यह नियम है कि वे किसी संदर्भ में विविध करण कर रहे हैं, और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेंगा जो आवश्यक हो और ऐसी किसी संपत्ति, आयुक्त, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थों को अभिगृहीत कर सकेंगा।

5. तलाशी की शक्ति के अंतर्गत ताले, आदि तोड़कर खोलने की शक्ति का होना — इस अधिनियम के अधीन तलाशी लेने वाले को उसकी चाबी के साथ किसी संपत्ति संदर्भ में विविध करण कर सकेंगा जो उसकी चाबी पर लगाया गया है तो ताला तोड़कर खोलने की शक्ति होगी।

6. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अभिगृहीती की गई संपत्ति को अन्याय स्थापित किया जाना — इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए और अर्थव्यवस्था के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को और इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीती के लिए प्राप्त संपत्ति, आयुक्त, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थ या किसी वात या ज्ञान को, व्यक्ति, निर्देशन, पुलिस या अन्य अघि वाहन या निर्देश शक्ति के साथ चाहिए कारण, यथार्थता, वह निर्देशात्मक करने पहले हैं या ऐसी संपत्ति, आयुक्त, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थ या किसी वात या ज्ञान को अभिगृहीत करने पहले है।

7. इस अधिनियम के अधीन फूलवाश पूरा अधिकार करने वाले संस्थानों का संरक्षण — इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत संस्थानों के प्रोत्साहन की गई या की जाने के लिए तालाबद्ध व्यक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के बिना कोई अभियोजन, बाद या अन्य विभिन्न कार्यवाही, केन्द्रीय संकान्ता की पूर्व संरक्षण से ही संरक्षण की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. निरसन और व्याप्ति—(1) सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर विशेष आयुक्त अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश 3) निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने हटे भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई बात बताने का कार्य इस अधिनियम के कार्यवाही के अधीन की गई समस्त जाएगी।